न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 15/2018 जिला सीकर ।

मोतीलाल पुत्र मोहनलाल पारीक जाति पारीक ब्राहमण निवासी ग्राम जुलियासर, तहसील लक्षणगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा कंवर तथाकथित पुत्री दुर्जनसाल सिंह पत्नि श्री प्रवीण सिंह जाति राणा निवासी मकान 50, लोक नायक व्यास कॉलोनी तेलीपाडा, नाहरी का नाका शास्त्री नगर, जयपुर।
2. छिगन कंवर तथाकथित पुत्री दुर्जनसालसिंह पत्नि श्यामसिंह राणा निवासी 161, पर्वतीय कॉलोनी तेलीपाडा, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. मोहनी देवी उर्फ मोहन कंवर तथाकथित पुत्री दुर्जनसालसिंह पत्नि बनवारी लाल जाति राणा निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.।
4. कौशल कंवर तथाकथित पुत्री कमला कंवर पत्नि पंकज कुमार जाति राणा निवासी राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर राज.।
5. नन्दलाल पुत्र दुर्जनसालसिंह जाति राणा निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2018 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 16/2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।

निर्णय

दिनांक–31.08.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.03.2018 के खिलाफ दिनांक 11.04.2018 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार दुर्जनलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 321 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 28.12.1997 को ग्राम पंचायत तिकोडी बडी द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट् संख्या 01 से 03 ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर में प्रस्तुत की गई।
2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील श्रीमती पुष्पा देवी व अन्य बनाम नन्दलाल को निर्णय दिनांक 21.03.2018 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 28.12.1997 वाके ग्राम जुलियासर को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकार लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट मोतीलाल के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 1 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।
5. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 3.34 है0 वाके की खातेदारी दुर्जनशाल सिंह पुत्र लादू राणा के नाम दर्ज रही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

है। उक्त भूमि में से दुर्जनशाल सिंह ने अपीलांट् को दिनांक 28.12.1994 को भूमि रकबा 0.40 है0 जरिये पंजीकृत विकय पत्र के विकय कर दी। दुर्जनशाल के फोत होने के समय उसने 0.83 है0 भूमि के अलावा सम्पूर्ण भूमि को विभिन्न लोगो को विकय कर दिया था व फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 28.12.1997 एक मात्र वारिस नन्दलाल के नाम विरासत का स्वीकार फरमाया गया। नन्दलाल ने दिनांक 23.3.1998 को रकबा 0.87 है0 में से 0.31 है0 भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र अपीलांट् को विकय की दी जिसका नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 8.9.1998 स्वीकार हुआ। नन्दलाल पुत्र दुर्जनशाल सिंह ने 0.52 है0 भूमि भगवानी देवी पत्नि भगवाना व बजरंग पुत्र भगवाना जाट को जरिये पंजीकृत विकय पत्र विकय कर दी। जिसका नामान्तकरण संख्या 387 स्वीकार हुआ। अपीलांट् द्वारा भूमि कय करने से खसरा नम्बर 272 रकबा 3.34 है0 मे से 0.71 है0 का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलांट् ने उक्त 0.71 है0 भूमि में से 0.22 हैद्ध भूमि औमप्रकाश पुत्र ब्रजमोहन पुजारी को विकय कर दी तथा उसके नाम न्नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 26.4.2001 स्वीकार हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 5 नन्दलाल जयपुर में रहता है उसके विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.01.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की माता यदि दुजर्नशाल की पुत्रिया थी तो उन्होने राजस्व एक्ट में तहसीलदार, ग्राम पंचायत में नामान्तकरण हेतु आवेदन क्यो नही किया। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 22 नियम 10 के तहत भी अपीलांट आवश्यक पक्षकार था तथा भूमि में उसके हित निहित थे। परन्तु उसके बाद भी अपीलांट् को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ग्राम पंचायत में पक्षकार न थी ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी इजाजत अपील आवश्यक थी उसके बिना अपील चलने योग्य न थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर विचार न कर निर्णय देने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश किया जिसको खारिज कर दिया गया। जिसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाये दिनांक 21.032018 को निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट्स को शुरू से ही विवादित नामान्तकरण आदेश की जानकारी थी। लेकिन उनके द्वारा अन्दर मियाद अपील पेश नही की गई। रेस्पोडेंट द्वारा इतने वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की गई। अपील काफी विलम्ब से पेश होने से विलम्ब को कोई समुचित कारण नही बताया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा उनवानी अपील श्रीमती पुष्पा व अन्य बनाम नन्दलाल व अन्य को दिनांक 21.03.2018 को निर्णित कर रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम खुले नामान्तकरण संख्या 321 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को सभी पक्षो को सुनकर विरासत का नामान्तकरण खोलने हेतु रिमांड कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार दुर्जनशाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272/1 रकबा 1.08 है0 के संबंध में है। दुर्जनशाल की मृत्यु होने के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 हाल खसरा नम्बर 272/1 से 272/9 की खातेदारी उसके वारिस रेस्पोडेंट संख्या 04 पुत्र नन्दलाल के नाम विरासत का नामान्तकरण सख्यां 321 दिनांक 28.12.1997 को ग्राम पंचायत तिकोडी बडी द्वारा स्वीकार किये जाने पर दर्ज की गई थी। ग्राम पंचायत तिकोडी बडी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण 321 दिनांक 28.12.1997 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 21.03.2018 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर को अपास्त कर स्व0 दुर्जनशाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड किया गया। अपीलांट का कथन है कि दुर्जनशाल के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 3.34 है0 में से 0.40 है0 भूमि अपीलांट् द्वारा दिनांक 28.12.1994 को जरिये विकय पत्र कय की थी तथा दुर्जनशाल की मृत्यु होने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उसके वारिस रेस्पोडेंट संख्या 05 पुत्र नन्दलाल के नाम दर्ज होने पर रेस्पोडेंट संख्या 05 से उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि नम्बर 272 रकबा 0.87 है0 में से 0.31 है0 भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.3.1998 को क्रय की गई थी तथा क्रय किये जाने पश्चात भूमि केता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 8.9.1998 से स्वीकार होकर दर्ज हो गई थी। अपीलान्ट् द्वारा दिनांक 22.9.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2018 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट् को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट् खातेदार की बिना सुनवाई किए पारित किया हैं। अपीलांट् विवादित नामान्तकरण से संबंधित आराजी में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण के प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

31/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner